भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ 226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324035
Email: (Env.) ro_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefcolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी / यू.पी. / 06 / 54 / 2015 / एफ.सी. / 1076

दिनांक 30/12/15

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन,
17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा हिण्डन कट कैनाल के किनारे 6 लेन हिण्डन एलीवेटेड रोड के निर्माण हेतु 0.6448 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 335 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश की पत्र संख्या–1166 / गाजियाबाद / 16073 / यू0पी0–172 / 2015, दिनांक– 30.11.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र का सदर्भ लेते हुए सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव के निरीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में त्रुटियाँ पायी गयी हैं जो निम्नलिखित है–

1. पृष्ठ 15 में संलग्न मानचित्र के अनुसार 15 हस्तचित्र मानचित्र सम्मिलित है जिससे यह प्रतीत होता है कि एकल प्रकरण में पुनः प्रत्यावर्तन का मामला भी सम्मिलित है।
2. पृष्ठ 16 एवं 17 में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के जी0पी0एस0 कोर्डिनेट्स बिना मुख्य बिन्दुओं के हैं और शेष बिन्दु पठनीय नहीं है।
3. पृष्ठ 33 में संलग्न क्षेत्रफल की गणना हस्तारेखीय है एवं क्षेत्रफल की गणना बोधगम्य नही है।
4. पृष्ठ 37 में संलग्न टिप्पणी "वन भूमि की आवश्यकता" के लिए अनुपयुक्त है।
5. प्रस्ताव में प्रभावित 335 वृक्षों का पातन चाहा गया है जबकि पृष्ठ 40 के मध्य [illegible] में उपलब्ध और में पातन होने वाले केवल 210 वृक्ष दर्शाये गये है। स्पष्ट रूप से दो सूचि बनायी जाए। एक सूची में प्रस्तावित वन भूमि पर खड़े सभी वृक्षों का और दूसरी सूचि में पातन होने वाले वृक्षों का।
6. प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की गणना प्रस्तुत नहीं की गयी है।
7. प्रस्ताव के पृष्ठ 53 से 62 पर पातन होने वाले वृक्षों की सूची में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नही है।
8. पृष्ठ 66 में उपलब्ध मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल जी0पी0एस0 कोर्डिनेट्स के साथ मुख्य बिन्दुओं को जोड़कर तालिका में नही उपलब्ध कराया गया है।
9. पृष्ठ 80 में उपलब्ध मानचित्र में सारिणी, तालिका एवं अन्य ब्यौरा नही दर्शाया गया है।
10. पृष्ठ 81 में संबंधित मानचित्र का औचित्य स्पष्ट नही है।
11. प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव में कई स्थान पर विभागीय अधिकारियों की मोहर नही लगी हुई है।
12. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र अपूरा है।
13. प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का डिजीटल मानचित्र KML File के साथ सी0डी0 में प्रस्तुत करें।

आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित बिन्दुवार त्रुटियों को दूर करके संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव मूल रूप में वापस किया जाता है।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव (वन), वन अनुभाग, बापू भवन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ, उ0 प्र0।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद, उ0प्र0।
4. अधिशासी अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद, उ0 प्र0।
5. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश पत्रावली।

30/12/15

(बृजेन्द स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

संख्या–5089/14–2–2015
दिनांक : 31 दिसम्बर, 2015

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा उठायें गये बिन्दुओं का निराकरण करते हुए कृपया संशोधित प्रस्ताव शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

31.12.15

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।